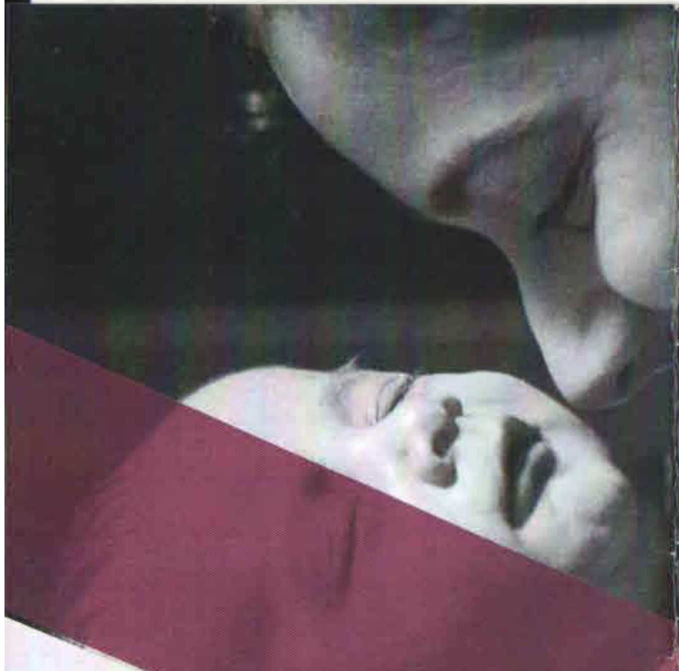

उद्देश्य

- मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके।
- प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 01.01.2017 से पूरे देश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 5000/– रू० की राशि तीन किस्तों के आधार पर योजना की शर्तों को पूरा करने वाली गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में दी जाती है।

हमें संपर्क करे

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज़ 15-20 सेक्टर 4। पंचकुला, हरियाणा
फोन नंबर 0172-2560349

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एव पोषण संबधी जरूरतों की पुर्ति हेतू नकद प्रोत्साहन देकर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करना इस स्कीम का उदेश्य है। इस स्कीम को आई.सी.डी.एस. स्कीम के मंच में कियाविन्त किया जा रहा है। गांव स्तर पर आंगनवाडी केन्द्र इस स्कीम को चलाने के केन्द्र बिन्दु हैं।

लक्षित वर्ग

- ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपकमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अतंर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं।
- सभी पात्र गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई है।
- लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना एम0सी0पी0 कार्ड में यथाउल्लिखित उसकी पिछले माहवारी चक की तिथि की आधार पर की जाएगी।

शर्ते एवं किस्तें

किस्त	शर्ते	राशि
पहली किस्त	गर्भावस्था का शीघ्र से पंजीकरण करवाने पर	1000/–
दूसरी किस्त	कम से कम एक प्रसव पुर्व जांच कराने पर (गर्भधारण के छः माह बाद इसका दावा किया जा सकता है।)	2000/–
तीसरी किस्त	• बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी या इसके समतुल्य/एवजीं का पहला चक का टीका करवाने पर	2000/–

पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में अनुमोदिन मानदंडो के अनुसार शेष नकद राशि पुरस्कार प्राप्त करेंगे ताकि औसतन हर महिला को रू0 6,000/– मिले।

स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिये अपने जिला स्तर पर जिला कार्यकम अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्रो से संपर्क करें।